बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

03 जुलाई 2019

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी].

- 24

रिक्त पदों पर नियुक्ति

*48 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगेकि :-

(क) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के अधीनस्थ पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर एवं अन्य जिलों में कमियों की भारी कमी से आम लोगों का विविध कार्य अंचलों में बाधित है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग में राजस्व अधिकारी के 886, राजस्व कर्मचारी के 4353 एवं अमीन के 1522 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मच्छर मारने की दवा का छिड़काव

*49 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है भागलपुर जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र स्थित आवासन परिधि में रहने वाले आमजनों को मच्छरों से निजात दिलाने हेतु दवा का नियमि[]त छिड़काव नहीं किये जाने से बराबर महामारी की आशंका बनी रहती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो 'स्मार्ट सिटी' के रूप में चयनित भागलपुर में मच्छर मारने की दवा के नियमि[]त छिड़काव हेतु सरकार कब तक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*50 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा भूमि के दाखिल -खारिज, राजस्व वसूली आदि का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर प्रखंड में अंचलाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन दाखिल-खारिज विभाग द्वारा निश्चित सीमा में न करके तथा तरह- तरह के बहाने बनाकर आमजनों का खुलेआम आर्थिक शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वैशाली जिले के उक्त प्रखंड में आमजन से आर्थिक दोहन एवं परेशान करने के दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करते हुए इन पर कार्रवाई एवं ऑनलाइन की समय- सीमा के अंदर कार्य सम्पादित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सदस्या बनाने के लिए प्रचार-प्रसार

*51 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग , यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सभी पंचायत में पैक्स है और उसके सदस्य

भी होते हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि पैक्स का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक परिवार से एक सदस्य बनाने का प्रावधान है ;

(ग) क्या यह सही है कि पैक्स अध्यक्ष अपने चहेते को ही सदस्य बनाते हैं जिसके कारण काफी लोग सदस्य बनने से वंचित रह जाते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि पैक्स सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था है, अभी तक राज्य में कितने परिवार के सदस्यों का पैक्स का सदस्य बनाया गया है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पंचायत स्तर तक सदस्य बनाने के लिए प्रचार-प्रसार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

रुपए का गबन

*52 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि स्वच्छता अभियान के तहत मधुबनी नगर परिषद् द्वारा कचरा पेटी सहित अन्य सामग्री पर फरवरी 2018 से फरवरी 2019 के बीच पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि हाउस होल्ड कचरे की गुणवत्ता जांच किये बिना चालीस हजार डब्बा खरीद कर नगर परिषद् अन्तर्गत कुल तेरह हजार पांच सौ परिवार को सत्ताईस हजार नीले और लाल रंग का एक-एक डब्बा नगर परिषद् द्वारा बांटा गया था ;

(ग) क्या यह सही है कि बचे हुए पचास लाख पांच हजार मूल्य के तरह हजार डब्बे नगर परिषद् के मुताबिक किसी को पता नहीं है कि कहां है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मधुबनी नगर परिषद् द्वारा स्वच्छता के नाम पर कचरा पेटी सहित अन्य सामग्री की खरीद-फरोख्त में रुपयों का गबन करनेवालों के उपर यथोचित कार्रवाई कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

जलस्तर में सुधार कब तक

*53 **श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वर्षा कम होने के कारण जल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार के सभी शहरों में तेजी से गिरते जल स्तर के कारण मार्च से अगस्त महीने में चापाकल से पानी निकलना बंद हो जाता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो बिहार में गिरते जल स्तर को सुधारने हेतु राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है। यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*54 **डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी शहर की सफाई कार्य देख रहे नगर परिषद् प्रशासन के तहत कार्यरत एनजीओ की उदासीनता से शहर में जगह-जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व यत्रतत्र गंदगी से बचाव के लिए शहर को सैकड़ों कूडेदान दिया गया था, परन्तु सभी कूडेदानों का अता-पता नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि कूडेदान के अभाव के कारण सड़कों पर कूडे़ का अंबार लगा हुआ है और नगर प्रशासन द्वारा उठाव के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मधुबनी शहर की सफाई कार्य कराते हुए खंड 'ख' के आलोक में जांच बैठाकर संबंधित एनजीओ एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

पैक्स के निर्वाचन में आरक्षण लागू कबतक

*55 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अब तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि आरक्षण लागू नहीं करने से आरक्षित वर्ग के लोग पैक्स अध्यक्ष पद पर निर्वाचन से वंचित हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जहानाबाद जिला सहित पूरे राज्य में पैक्स के निर्वाचन में आरक्षण लागू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को पत्र कब तक

*56 **श्री संजय कुमार सिंह (मनोनीत):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि संविदा पर नियोजित कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु चौधरी कमिटी की अनुशंसा के लागू हुए एक वर्ष बीतने को हैं बावजूद अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा अभिलेख का प्रारूप, अपीलीय प्राधिकार के गठन, कार्य का मूल्यांकन, कर्मचारी राज्य बीमा के अधिनियम के प्रावधान लागू करने से संबंधित पत्र बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को प्रेषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित बिन्दुओं को लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को पत्र प्रेषित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा

*57 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भूमिहीनों को गैर मजरूआ, गैर मजरूआ आम व खास भूदान की जमीन उपलब्ध करायी गयी थी तथा भूमिहीनों को उस जमीन का पर्चा भी दिया गया लेकिन भूमिहीनों का उक्त जमीन पर कब्जा नहीं हो सका जिसके चलते राज्य के करीब 35 हजार लोग घर से बेघर हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा अबतक नहीं दिलाने का क्या औचित्य है ?

दोषी व्यकक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

*58 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर निगम एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत के घनी आबादी वाले शहरों में गृह निर्माण की सामग्री बालू, गिट्टी एवं अन्य गृह निर्माण सामग्री बीच सड़क पर ही जमा रखने से शहरों में दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में बीच सड़क पर गृह निर्माण की सामग्री लगभग अधिकांश सड़कों पर देखी जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि कहीं-कहीं सड़क पर बालू, गिट्टी आदि जमा कर बिक्री भी की जाती है;

(घ) यदि उपयुर्क्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सभी निकायों की घनी आबादी वाले शहरों में गृह निर्माण सामग्री जमा करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करना चाहती है ?

नाला को अतिक्रमण से मुक्ति

*59 **श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

(क) क्या यह सही है कि बोधगया शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न छोटी-बड़ी नालियों से निकलने वाले पानी को बड़े नाले (गोदाम रोड नाला और अमवां पईन) में गिराने की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों बड़े नालों की सफाई आखिरी दिनों में शुरू की जाती है और इससे पहले कि नालों कि सफाई पूरी हो पाए, बरसात शुरू हो जाती है और सफाई का काम बंद हो जाता है ;

(ग) क्या यह सही है कि समय पर नालों की सफाई नहीं होने के कारण नाली जाम हो जाता है और सड़क पर एवं कई लोगों के घरों में पानी पहुंचना शुरू हो जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि नालों पर अतिक्रमण के कारण शहर के नालियों का पानी जब बड़े नालों में पहुंचता है और उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गया शहर के साथ-साथ उक्त दोनों नालों को अतिक्रमण मुक्त कराकर नियमित समय में सभी नालों की सफाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

रोशनी की व्यवस्था

*60 **श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित पुनाई चक सरकारी आवास के रोड नं0-4 में सड़क पर रोशनी नहीं रहने के कारण अंधेरा छाया रहता है जिसके कारण आए दिन छीना-झपट होता रहता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पुनाई चक में अपना घर से रोड नं.-4 होते सी.पी.डब्लू. डी. कार्यालय तक सड़क पर रोशनी की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सहायता राशि कब तक

*61 **श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की एक्सीडेंटल मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा रु0 4 लाख सहायता राशि दी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के स्वाभाविक मृत्यु पर किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि इस दिशा में कई बार विभाग को आवेदन भी दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने पर इस आशय पर उनकी सहमति भी प्राप्त हुई किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई जवाब नहीं मिला;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के स्वाभाविक मृत्यु पर भी रु0 4 लाख सहायता राशि देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क का निर्माण कब तक

*62 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के गया शहर के मोहल्ला - मुस्तफाबाद में प्रो0 अरुण कुमार के घर से प्रो0 लालदेव यादव के घर होते हुए मुख्य सड़क तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नाले का निर्माण

*63 **श्री हीरा प्रसाद बिन्द (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद् के वार्ड नं0- 37 के कुसुमपुर कॉलोनी में राज इन्क्लेब से रंजन कुमार के घर होते हुए मुकेश कुमार की जमीन तक ह्यूम पाईपनाला निर्माण का कार्य जिसकी तकनीकी अनुमोदन राशि 13,17,000/- रुपये एवं प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 13,17,000 रुपये स्वीकृत है, उस कार्य का निष्पादन विभागीय लापरवाही के कारण अबतक नहीं हो पाया, जिससे वरसात के समय में जल-जमाव की स्थिति रहती है;

(ख) क्या यह सही है वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत उक्त नाला निर्माण योजनाओं के प्राक्कलनों पर विचार कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका ज्ञापांक- 1073 दिनांक – 21.02.18 है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित नाले का निर्माण प्राथमि[illegible]कता के आधार पर यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

सड़क का निर्माण

***64 श्री तनवीर अख्तर (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के वार्ड- नयाचक, पंचायत- कछुआरा के मंगल चौक के नजदीक चंचला सिन्हा के घर से मुख्य मार्ग खेमनीचक तक सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमित जमीन को मुक्त

***65 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की जमीन को वाह्य तत्वों द्वारा अतिक्रमित किया गया है, जिसकी सूचना विभाग को दी जा चुकी है, किन्तु विभाग मौन है;

(ख) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा अतिक्रमण से सिकुड़ता जा रहा है फिर भी अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं और क्षुब्ध हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार

अतिक्रमणकारियों से विश्वविद्यालय की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई

*66 **श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा नगर परिषद् क्षेत्र में बिहार राज्य जल आपूर्ति निगम द्वारा नागरिकों को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने हेतु 06 (छः) पानी टंकी का निर्माण कार्य किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बगहा नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड संख्या- 12 के मुहल्ला – नरईपुर देवी स्थान परांगण में भी पानी टंकी का निर्माण किया गया है, परन्तु पानी आपूर्ति पाईप लाईन अधूरा एवं घटिया किस्म का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि संवेदक द्वारा घटिया किस्म का पाईप के साथ-साथ अधूरे कार्य के विरुद्ध अधिक राशि का भुगतान ले लिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संवेदक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराना चाहती है, यदि हां तो कब?

समिति का गठन

*67 **श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दो दर्जन से अधिक प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का गठन एवं निबंधन सहकारिता विभाग द्वारा नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित प्रखंडों के जलकरों की बंदोबस्ती समिति नहीं रहने के कारण खुली डाक से बंदोबस्ती कर दी जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिन प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय, मत्स्यजीवी समिति निबंधित नहीं है, उन प्रखंडों में

मत्स्यजीवी समिति को निबंधित कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

नाले एवं सड़क का निर्माण

*68 **श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के अन्तर्गत पाटलिपुत्र गोलम्बर से नेहरू नगर- इंदिरा नगर- देवता बालिका विद्यालय- राजापुर तक नाला एवं सड़क के निर्माण की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना की घोषणा के बावजूद निर्माण कार्य नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं ,तो सरकार इस नाले एवं सड़क का निर्माण कबतक कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कबतक नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई

*69 **श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला स्थित खुटौना प्रखंड की मझौरा पंचायत के पथराही ग्राम में वर्ष 1991 में अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा जोत की जमीन का पर्चा भूमिहीनों को दिया गया था जिसकी अद्यतन मालगुजारी रसीद भी कट रही है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, खुटौना द्वारा बिना वजह जमीन को विवादित बताकर रसीद काटना बन्द करा दिया गया जिस कारण दबंगों द्वारा पांच एकड़ जमीन दखल कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि पर्चाधारी गंगई पासवान, सुतरुम पासवान, कपलेश्वर पासवान, चलितर राम, सरूप राम, बिन्देश्वर राम आदि 14 भूमिहीनों ने अंचल अधिकारी को आवेदन दिया पर कोर्इ सुनवाई नहीं हुई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पर्चाधारियों की दखल दिलाने, रसीद काटने तथा मिलीभगत करने वाले पदाधिकारियों

पर समुचित कारवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रास्ता का निर्माण

*70 **डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के खुटौना अंचलान्तर्गत कारमेघ गांव में अवस्थित खेसरा सं0- 12593 की भूमि ग्रामीणों के लिए आम रास्ता रही है, जिसे कुछ लोगों के द्वारा अनधिकृत अतिक्रमित कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अतिक्रमणकारी के द्वारा खेसरा सं0- 12591 से संबंधित एक निजी जमीन होकर बलपूर्वक रास्ता का निर्माण कराना चाहते हैं ताकि अतिक्रमित आम रास्ता उनके दखल कब्जा में आ जाए;

(ग) क्या यह सही है कि ग्रामीणों के द्वारा अंचलाधिकारी खुटौना एवं थानाध्यक्ष ललमनियां को इस समस्या के समाधान हेतु तथा शांतिपूर्ण वातावरण कायम रखने के निमित्त सूचना दी जाने के बावजूद अभी तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे गांव में शांति भंग होने की संभावना प्रबल हो गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं ,तो क्या सरकार इस दिशा में कोई आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

*71 **डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के ग्राम सेवा केन्द्र , वृंदावन गांधी आश्रम बिहार में गांधी गतिविधियों का स्वर्णिम इतिहास समेटे हुए है;

(ख) क्या यह सही है कि दुर्भाग्यवश इस आश्रम की जमीन का स्थानीय दबंग द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारी, बेतिया को इस अतिक्रमण को दूर करने एवं दोषी लोगों को चिन्हित कर नियमानुसार कारवाई करने का निदेश भी दिया था;

(ग) क्या यह सही है कि अब तक सरकारी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमित जमीन

को मुक्त करने, दुबारा अतिक्रमण नहीं होने और अतिक्रमण करनेवालों के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई है जिस कारण दबंगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के निदेशों का अनुपालन भी जिला पदाधिकारी, बेतिया द्वारा नहीं किया जा रहा है फलतः परिसर के भीतर भी दबंग अब घर बनाकर रहने लगे हैं;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गांधी आश्रम की सभी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए दोषी पर कानूनी कार्रवाई आरंभ करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना, पिन-800015.
03 जुलाई, 2019.

विनोद कुमार,
सचिव